

7 **अत्याचार से पीडित अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को राहत**
Compensation to victims of atrocities belonging to SCs/STs

- उद्देश्य** अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 के अन्तर्गत जाति भेदभाव के कारण पुलिस में दर्ज मामलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पात्रता** अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति जिन पर जाति भेद भाव के कारण अत्याचार होने पर अनुसूचित जाति/जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 के अन्तर्गत पुलिस में दर्ज मामले।
- सहायता** 25,000/-रु० से लेकर 2.00 लाख रु० तक
- प्रक्रिया** घटना के तुरन्त बाद प्रभावित व्यक्ति को अपने नजदीक के पुलिस थाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवानी होगी। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस से रिपोर्ट प्राप्त होने पर राहत राशि दी जाती है।
- सम्पर्क अधिकारी** सम्बन्धित उपायुक्त/उप-मण्डल दण्डाधिकारी/ जिला कल्याण अधिकारी।